

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 1(3)आ.प्र.एवं सहा/ओला0/2018/6282-340 जयपुर, दिनांक 17.4.2018

अधिसूचना

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्याक 2005 का 53) की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा तेज आंधी/अंधड़ तूफान, जिससे वृहत् स्तर पर जान व माल की हानि हो, को राज्य की विशेष प्राकृतिक आपदा (State Specific Disaster) के रूप में अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचना दिनांक 11.4.2018 से प्रभावी होगी।

आज्ञा से
17/4/18
(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मन्त्री, राजस्थान।
3. निजी सचिव एवं वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज., जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
14. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
15. निजी सचिव, निदेशक, मौसम विभाग, राजस्थान।
16. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।

उप शासन सचिव